न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध **बैंक प्रकरण संख्या 124/2025**(GCMS : 2025/133)

आवास फाईनेंसर्स लि., पंजीकृत कार्यालय 201–202 द्वितीय तल, साउथ एण्ड सकेव्यर मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जयपुर व **स्थानीय शाखा कार्यालय** शॉप नं. 1 व 2 द्वितीय तल, शक्ति मार्ग, राजस्थान पत्रिका कार्यालय के पास, सूरतगढ़ रोड, श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी प्रेम सुथार

बनाम

1. **मुख्तयार सिंह** पुत्र श्री सुरजीत सिंह निवासी वार्ड नं. 02, गांव 48 एफ, पो.ऑ. 09 एफएफ(बड़ोपल) तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335073
2. **गुरमीत कौर** पत्नी श्री मुख्तयार सिंह निवासी वार्ड नं. 02, गांव 48 एफ, पो.ऑ. 09 एफएफ(बड़ोपल) तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335073
3. **लखविन्द्र सिंह** पुत्र श्री रेशम सिंह निवासी 15 एनपी स्कूल के पास, जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335001

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.05.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी के अधिवक्ता श्री योगेन्द्र मूण्ड उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक/कम्पनी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कथन किया कि अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक की बकाया राशि जमा करवा दी है इसलिए वे इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है, इसलिए नॉट प्रैस किये जाने का प्रार्थना की। प्रार्थी आवास फाईनेस लि. ने अप्रार्थीगण मुख्त्यार सिंह, गुरमीत कौर एवं लखविन्द्र सिंह द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मुख्तयार सिंह की **अचल सम्पत्ति बुक संख्या 274, पट्टा संख्या 75, गांव 48 एफ, ग्राम पंचायत 09 एफएफ (बड़ोपल) तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर का** भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 24.03.2025 को प्रस्तुत कर रखा है और प्रार्थी बैंक ऋणी के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की कोई कार्यवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस प्रकरण** में ... कर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 24.03.2025 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी आवास फाईनेंस लि. द्वारा धारा 14 वितिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण मुख्तयार सिंह, गुरमीत कौर एवं लखविन्द्र सिंह के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में मुख्तयार सिंह की **अचल सम्पत्ति बुक संख्या 274, पट्टा संख्या 75, गांव 48 एफ, ग्राम पंचायत 09 एफएफ (बड़ोपल) तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर,** का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का नोट प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने फर्दअहकाम के हाशिये पर अंकित किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आवास फाईनेंस लि. द्वारा वितिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर महोदया